



Office of the Director Research Maharaja Ganga Singh University

NH 15, Jaisalmer Road, Bikaner-334004 (Rajasthan) INDIA

E-mail: directorresearch@mgsbikaner.ac.in

क्रमांक : एफ.12()/मगंसिविबी/शोध/2026/3452

दिनांक : 12-10-26

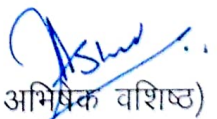
कार्यालय आदेश

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त विभिन्न महाविद्यालयों के शिक्षकों का स्थानान्तरण अन्य जिलों/विश्वविद्यालय कार्यक्षेत्र के बाहर के महाविद्यालयों में कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ शिक्षकों को स्नातक स्तर के महाविद्यालयों में तथा कुछ शिक्षकों को ऐसे महाविद्यालय में स्थानान्तरित किया गया है जो यूजीसी से 12B/2F में मान्यता प्राप्त नहीं है।

उक्त संबंध में विचार/विमर्श कर निर्णय लेने हेतु विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक एफ.12()/मगंसिविबी/शोध/2026/3351 दिनांक 18.09.2026 के क्रम में विश्वविद्यालय शोध बोर्ड (Research Board) की दिनांक 23.09.2026 को बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में शोध बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय/प्रस्तुत अनुशंसा का कुलगुरु महोदय द्वारा किए गए अनुमोदन की पालना में शोध पर्यवेक्षक एवं फेलोशिप संबंधी कार्य के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. शोधार्थी को उसके प्रथम आवंटित महाविद्यालय का ही शोधार्थी माना जाएगा तथा उसके UGC/CSIR-JRF एवं अन्य प्रकार की फेलोशिप से संबंधित समस्त कार्य प्रथम आवंटित महाविद्यालय के स्तर पर ही संपादित किए जाएंगे। शोधार्थी इस हेतु निर्धारित शुल्क व उपस्थिति प्रमाण-पत्र उक्त महाविद्यालय में जमा करेगा।
2. शोधार्थी की फेलोशिप से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन शोध पर्यवेक्षक के स्तर पर ही किया जाएगा।
3. शोध पर्यवेक्षक के स्थानान्तरण के उपरांत आवंटित महाविद्यालय के संबंधित विभागाध्यक्ष एवं प्राचार्य द्वारा फेलोशिप से संबंधित दस्तावेजों को अग्रेषित किया जाएगा तथा शोधार्थी का फेलोशिप संबंधी कार्य मूल आवंटित महाविद्यालय द्वारा ही किया जाएगा।
4. विश्वविद्यालय नियमानुसार ऐसे प्रकरणों में शोध पर्यवेक्षक शोध पर्यवेक्षण जारी रखेंगे। साथ ही जहाँ तक संभव हो, शोध पर्यवेक्षक द्वारा शोधार्थी के प्रथम आवंटित महाविद्यालय में कार्यरत उस ही विषय के किसी शिक्षक अथवा अंतर्विषय शिक्षक को सह-शोध पर्यवेक्षक (Co-Supervisor) के रूप में नियुक्त/आवंटित किए जाने हेतु शोध निदेशक कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।
5. यदि पर्यवेक्षक का सम्भाग में बाहर स्थानान्तरण हो जाता है तब भी उक्तानुसार कार्यवाही की जानी है।
6. ऐसे महाविद्यालय जिनमें यूजीसी 12B/2F में पंजीकरण नहीं है उनमें जेआरएफ विद्यार्थियों का भविष्य में आवंटन नहीं होगा। ऐसे महाविद्यालयों की सूची पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अलग से प्रदर्शित की जायेगी तथा ऐसे महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी से शपथ पत्र लिया जाएगा कि उसे ज्ञात है कि फेलोशिप प्राप्त नहीं होगी।

यह व्यवस्था शोधार्थी की फेलोशिप की निरंतरता बनाए रखने तथा शोध पर्यवेक्षक के स्थानान्तरण के कारण उत्पन्न होने वाली अनावश्यक प्रशासनिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए लागू की जा रही है।


(डॉ. अभिषेक वशिष्ठ)
निदेशक, शोध

क्रमांक : एफ.12()/मगंसिविबी/शोध/2026/

दिनांक :

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, कुलगुरु, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
2. निजी सहायक, कुलसचिव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, वित्त नियंत्रक, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
4. प्राचार्य एवं शोध पर्यवेक्षक, समस्त संबंधित महाविद्यालयों को पालनार्थ।
5. रक्षित पत्रावली


(डॉ. राजेश कुमार)
अनुभाग अधिकारी, शोध